माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनैनीताल

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय आशुलिपिक ग्रेड–1/ व्यक्तिक सहायक वर्गीय सेवा परीक्षा — 2016

विज्ञापन संख्या— 3103 /UHC/Admin-B/Rec-2016/2016 दिनांक: 30.06.2016 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि — आवदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि — 23.07.2016

विस्तृत विज्ञापन उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय व्यक्तिक सहायक/ विरिष्ट व्यक्ति सहायक सेवा परीक्षा—2016 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—1 के पदा एवं परिवार न्यायालयों में व्यक्तिक सहायक पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के "परिशिष्ट—2.1 में आवेदन पत्र के प्रारूप संलग्न किये गये हैं। परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

नाट : किसी स्थान विशेष के लिए परीक्षा केन्द्र के विकल्प से संबंधित आवेदकों की संख्या कम अथवा बहुत अधिक होने व अन्य अपरिहार्य कारणों से परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड उच्चन्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा तद्नुसार सम्बन्धित आवदेकों को अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

- 1. रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल संख्या 96 है। जिसमें 91 आशुलिपिक ग्रेड—1 पदों हेतु एवं 05 व्यक्तिक सहायक पदों हेतु है। आशुलिपिक ग्रेड—1 पदकोड 01 एवं व्यक्तिक सहायक पदकोड 02 की रिक्तियों का जनपदवार एवं पदवार विवरण "परिशिष्ट—1" पर अंकित है।
- 2. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न किया जाय। समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में पूर्णतः औपबिन्धिक रूप से सिम्मिलत किया जायेगा। अतः लिखित परीक्षा में सिम्मिलत होने का तात्पर्य पद हेतु अर्ह होना नहीं है। रिक्तियों के सापेक्ष 4 गुना अभ्यर्थियों को आशुलेखन परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त पद हेतु अर्ह पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को आशुलिपिक परीक्षा में सिम्मिलत किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा जनपद में नियुक्ति हेतु विकल्प आवेदन पत्र में ही प्राप्त किये जायेंगे। चयन के उपरान्त उन्हें वरीयता व विकल्प के आधार पर यथा सम्भव नियुक्ति दी जायेगी। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। वरीयता क्रम के आधार पर सम्बन्धित जनपद में पद रिक्त न रहने की दशा में अभ्यर्थी को किसी भी जनपद में नियुक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा। आशुलिपिक परोक्षा के समय ही अभ्यर्थी द्वारा अपने वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की 2—2 स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां व मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 3. राष्ट्रीयता : किसी व्यक्ति को व्यक्तिक सहायक / आशुलिपिक ग्रेड—1 अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा, जबकि वह भारत का नागरिक हो और आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 23.07.2016 तक उत्तराखण्ड के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।
- 4. चरित्र : अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को

यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो नातेदार न हों, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी:— भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित संस्थान से बर्खास्त अभ्यर्थी संस्थान में चयन के लिए अनर्ह होंगे । ऐसे व्यक्ति भी अयोग्य होंगे, जो ऐसे अपराध में दोष सिद्ध हुए हों जिसमें नैतिक अद्यमता सम्मिलत है ।

5. शारीरिक स्वस्थताः किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को आशुलिपिक ग्रेड—1/व्यक्तिक सहायक सरंथान में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड—एक भाग—दो के अध्याय—तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

6. शैक्षणिक अर्हताएं:

पद कोड— 01 आशुलिपिक ग्रेड—1 पद जिला न्यायालयों हेतु एवं पद कोड —02 व्यक्तिक सहायक कृटुम्व न्यायालय हतु :—

- 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।
- 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- 3. हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट (क्वालीफाई) और हिन्दी में टंकण की, कम्प्यूटर पर 7500 की–डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (क्वालीफाई)।
- 4. कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा।

- 5. लिखित परीक्षा में समान अंक / जन्म तिथि समान होने पर उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अंग्रेजी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट (क्वालीफाई) एवं अंग्रेजी में टंकण की, कम्प्यूटर पर पर 9000 की—डिप्रेशन प्रति घंटा (क्वालीफाई) की गति रखते हों।
- 7. वैवाहिक प्रास्थितिः आशुलिपिक ग्रेड—1/व्यक्तिक सहायक को अधिष्ठान में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पित्नयां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो।
- 8. आरक्षणः (1) ऊर्ध्व आरक्षणः— उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(शा0सं0—1144 / कार्मिक—2—2001—53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0—254 / कार्मिक—2 / 2002, दि0 10 अक्टूबर, 2002)।

(2) क्षतिज आरक्षण:— (क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उत्तराखण्ड के प्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड िउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)—अधि0सं0:133 //XXXVI(3) /2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों

(i) ''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो— (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई ह, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमो किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अविध पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नाट:— पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

- (ii) "शारीरिक रूप से विकलाग" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अगघात की विकलागता से ग्रसित हो। टिप्पणी:— विकलाग आरक्षण के लाभ हेतु विकलागता की उपर्युक्त श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलागता होना अनिवार्य है। (Such person shall have to furnish a fitness certificate as provided in Rule 9 of Uttarakhand Civil Courts Ministrial Establishment Rules 2007) "In the physically handicapped category for the post of Stenographer OL (one Leg affected (R and /or L) and BL (Both Legs Affected but not arms) physically handicapped persons can apply; but such persons also shall have to furnish a fitness certificate as provided in Rule -9 of the Uttarakhand Civil Courts Ministerial Establishment Rules, 2007."
- (iii) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।
- (ख)उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0—1144/ कार्मिक—2—2001—53(1) /2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0—589/कार्मिक—2/2002 दि021 जून 2002 तथा शा0सं0— 1968/XXX/2006 दि0 24 जुलाई 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- नाट:— (1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुस्चित जाति के लिए स्वीकृत कुल सवर्गीय पदों का 19 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग क लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14 प्रतिशत ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30 प्रतिशत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

- (3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरिक्षत श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 1 (एक) वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 9. आयु सीमाः (1) सेवा में किसी भो पद पर भर्ती हेतु 1 जुलाई 2016 को अभ्यर्थी की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है।
- (2) अधिकतम आयु सीमा में छूटः (क) शा0सं0—1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा़ वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलाग/नि शक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष अधिक होगी। उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा0स0—1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)
- (ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सिनक के अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अविध कम करने की अनुमित दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

10. पाठयक्रम : भर्ती हेतु लिखित परीक्षा निम्नलिखित पाठयक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जायेगी:—

लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेत् पाठ्यक्रम

प्रयोगात्मक	कम्प्यूटूटर पर टंकण /आशुलेखन में परीक्षण	60 अंक
परीक्षा भाग -1	आशुलेंखन में 80 शब्द प्रतिमिनट (क्वालीफाई) और	
	हिन्दी में टकण की, कम्प्यूटर पर 7500 की-डिप्रेशन	
	प्रति घंटा की गति (क्वालीफाई)। लिखित परीक्षा में	
	समान अंक / जन्म तिथि समान होने पर उन अभ्यर्थियों	
	को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अग्रेजी आशुलेखन में	
	80 शब्द प्रति मिनट (क्वालीफाई) एवं अंग्रेजी में टंकण	
	की, कम्प्यूटर पर पर 9000 की—डिप्रेशन प्रति घंटा	
	(क्वालीफाई) की गति रखते हों।	
लिखित परीक्षा	वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें	140 अंक
भाग–2	सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के बहुविकल्पीय	
	140 प्रश्न होंगे ।	
	योग	200 अंक

विशेष नोटः टकण/आशुलखन परीक्षा के लिये 1 रिक्त पद पर 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा। आशुलिपिक ग्रेड—1 /व्यक्तिक सहायक पद पर भर्ती हतु प्रयोगात्मक परीक्षा को क्वालीफाई करना अनिवार्य होगा। प्रयागात्मक परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट सूची में स्थान प्राप्त हागा। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है िकवह टंकण व आशुलिपि परीक्षा सर्वप्रथम कराए और जो अभ्यर्थी इस प्रयोगात्मक परीक्षा को क्वालीफाई करेगा, उसे ही लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

भाग—1 में उल्लिखित टंकण/ आशुलेखन परीक्षा के परिणाम के आधार पर भाग—2 में उल्लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा हेतु एक पद के विपरीत चार अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। वस्तुनिष्ट परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक काट लिया जायेगा। उत्तर प्रपत्र दो प्रतियों में होगा, जिसकी द्वितीय प्रति अभ्यर्थियों को ले जाने की अनुज्ञा होगी । वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर कुंजी उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर तथा इसकी सूचना समाचारपत्र के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी । यदि दो अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयनसूची में ऊपर स्थान दिया जायेगा।

11. आवेदन पत्र का स्वरूप— परीक्षा हेतु आवेदन पत्र का पारुप इस विज्ञापन के अन्त में दिया गया है। आवदन पत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोडेड कर 70 gsm के A-4 साईज के सफेद कागज पर भरकर भजना अनिवार्य है। अन्य किसी रूप में टंकिट अथवा हस्तलिखित आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र को भरने से पहले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढ़ें। आवदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न किया जाय। परीक्षा का आयोजन आवेदन पत्र पर दी गयी सूचना के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से विज्ञापन पढ़कर आवेदन पत्र में सही सूचना ही भरें। गलत एवं अस्पष्ट सूचना भरने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही करें।

12. आवेदन पत्र भरने हेत् अनुदेश :

- 1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्ते पूरी करते हैं। परीक्षा में सिम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं। जो अभ्यर्थी स्नातक परीक्षा में सिम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, वे आवेदन न करें।
- 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए कवल काले अथवा नीले रंग के बॉल प्वाइन्ट पन का प्रयोग करना चाहिए।
- 3. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन—पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- 4. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी / उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 13. आवदन पत्र प्राप्त होन की अन्तिम तिथि : अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तिलिप में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (बिना किसी प्रमाण पत्र को संलग्न किये) 9" x 12" साईज के लिफाफे में रखकर "महा निबन्धक,

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल, 263002'' के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक र
निर्धारित अंतिम तिथि से पव प्रेशित करे। लिफाफे के ऊपर " विज्ञापन संख्या
/UHC/Admin-B/Rec-/2016 दिनांक अवश्य अंकित करें। आवेदन पत्र जमा करने क
अन्तिम तिथि दिनांक है। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र
को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

लिफाफे का प्रारूप

विज्ञापन संख्या/ UHC/Admin-B/Rec-III/2016 दिनांक— स्पीड
पोस्ट / पंजीकृत
आवदित पद कोड
सेवा में
। सवा म
महा निबन्धक,
उच्च न्यायालय, उत्तराखंड
नैनीताल—263002
द्वारा–सीनियर पोस्टमास्टर, जी०पी०ओ०,
नैनीताल
प्रेषक
पिन

- 14. उत्तराखण्ड अधोनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशः
 - 1. बिन्दु—10 भाग—1 में उल्लिखित आशुलेखन (आशुलिपिक पदों के लिए) के भाग—1 में उल्लिखित आशुलिपिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिद्दड़ा वर्ग क अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होंगे। अन्तिम चयन सूची भाग—1 एवं भाग—2 के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
 - 2. बिन्दु—10 के भाग—2 में उल्लिखित परीक्षा हेतु तिथि तथा केन्द्र बाद में निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर दी जायेगी। भाग—1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भाग—2 परीक्षा में प्रवेश भाग—1 परीक्षा हेतु जारी प्रवेश—पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा।
 - 3. अभ्यर्थियों को बिन्दु-10 के भाग-2 की परीक्षा के समय अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहां उन्होंने शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार की दो फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे।
 - 4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को बिन्दु—10 के भाग—2 में उल्लिखित परीक्षा के समय अपने सेवा नियोजक का "अनापत्ति प्रमाण पत्र" मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- 15. सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशः

- 1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, ऐसे तथ्य देने पर भविष्य की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डो—बार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी चयन की सस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 3. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टता पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े । अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
- 4. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 5. मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।
- 6. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा उच्च न्यायालय के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए । अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो उच्च न्यायालय उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- 7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपने नाम से एक ही संवर्ग /पद कोड के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तृत करता है तो उसके सभी आवदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उनका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।
- 8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा । अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए उच्च न्यायालय जिम्मदार नहीं होगा।
- 9. हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 10. अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है । परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाईल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का

उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है । अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें, क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

- 11. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न हो किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- 12. परीक्षा भवन में आचरण : कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु उच्च न्यायालय द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें । ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- 13. कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यथियां के विरुद्ध कार्यवाहीः अभ्यथियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करे। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।
- 14. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों पर सम्बन्धित उत्तर कुजी / कुजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर पकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अविध के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घाषणा कर दी जाएगी।
- 15. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को परा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठे।
- 16. उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोइ परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्याकन (Negative Marking) पद्धित अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दने के लिए (चाहे दिए गए गलत उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंका का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।
- 17. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यथियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

18. अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश—पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंदित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। बिन्दु—10 में भाग—1 में उल्लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों का भाग—2 की परीक्षा हेतु पृथक से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा। भाग—1 परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। भाग—1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भाग—2 परीक्षा में प्रवश भाग—1 परीक्षा हेतु जारी प्रवेश—पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अन्तिम चयन तक प्रवेश—पत्र का सुरक्षित रखें एवं मांगने पर प्रस्तुत करें।

19. उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा अन्तिम चयन सूची में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही नियुक्ति अधिकारी मूल प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन कराता है। अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

20. आवेदन पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट <u>www.highcourtofuttarakhand.gov.in</u> डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र A/4 साईज एवं 70gsm सफद पेपर पर ही भरा जाय। अलग—अलग पदकोड के लिये अलग—अलग आवेदन भरा जाय। आवेदन पत्र केवल महा निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल को ही प्रेषित किये जायें।

आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा रू० 300 व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति द्वारा रू० 200 आवेदन शुल्क डिमाड डाफ्ट के माध्यम से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय नैनीताल के नाम से देय होगा।

21. अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं स्पीड पोस्ट की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी कारण से प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये उसको प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता है तो प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये डुप्लीकेट प्रवेश पत्र उपरोक्त दोनों अभिलेख पस्तुत किये जोने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जायेगा।

आवेदन पत्र

FILL ONLY ON 70 GSM A/4 SIZE PAPER

परिशिष्ट 2.1

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड अघीनस्थ सिविल न्यायालय आशुलिपिक/ वैयक्तिक सहायक सेवा परीक्षा— 2016 वेबसाइट: wwww.highcourtofuttarakhand.gov.in

										नांक	20	16								_		
नाटः							संलग्न क्तिक र															
	2.	लिखि	त परी	प्त हेर्नु	वॉछित	जनप	द / परी	क्षा केन	द्र का	नामः										<u> </u>		
1	3.	नियुवि	त हेतु	जनपद	का व	रीयत	कमः				9					13						
2						6					10					13						
3						7																
											11											
4						8					12											
	4.	अभ्यर्थ	का	परा ना	मः (हिन	दी में)															
										ETTE												
					Ī			Ì														
				1			1	ı	<u> </u>	1		<u> </u>				<u> </u>				1		
				नामः (1 ETTE		₹)																
अग्रुड	11 4	(БЕО	CKL	CIIC	KS).			I	1			1	1	1	1	1	1	1		1		
8. वर क्या (ग अम् अम्यर्थ	पर्थी वि द्वारा की ज	म्सी र आवेद अावेद	ाजकीय न पत्र थे (हाई	सेवा भरने ह	में का स्तु अ प्रमाण	र्यरत है नापत्ति - पत्र के	– हॉं / प्रमाण अनुस	'नहीं (पत्र क गर):	 ज्र लिय	य का T हैं—ह	पूर्ण प इॉ / नह	ाता) शें									9.
		(ৰ) (्जपग शब्दों	में)						911												
f		(स) (1 जुल	नाई, 20 क्या स्था)16 क	ो आ 	युः वर्ष.					मा	ह				1	देन				
11.	ભા (उाचत	खान प	48 IIC	K	सहा ५	का ।नश	ાન ભા	।।य)ः +	નાફલા /	પુરુષ.											
12. T	त्र व्य	वहार व	न पूर्ण	िएवं स	पष्ट प	ता (ज	हॉं प्रवे	श पत्र	वांछित	T है):												
															साईज	फोटो कोटो	चिपव के नीच	गर्ये । इ वे बॉक	अपना न इसे स्टे स में अ	पल या	पिन	नहीं
	DIST	Γ					I	PIN						_	अभ्यर्थ	िके ह	स्ताक्षर					

13. स्थायी प	ताः
--------------	-----

नामः							
मकान संख्या/	मौहल्ला / ग्राम						
डाकघर:		तहर	ीलः		जिलाः		
राज्य:		पिन	कोड:				
			इत)		न्र नं0		
भारक्षण श्रेणी तश	या कोड (उचित खाने	पर Tick	का निशान लगाये): 3	कित करः			
अनारक्षित		अनुसूचित	т	अनुसूचित		अन्य	
		जाति		जनजाति		पिछड़ा व	
	EN CO CO	कोड	SC	कोड	ST	कोड	OBC
.6. क्षातज आरक्ष	णि श्रणा (उचित खान	чч 11ск	का निशान लगाये) उ	भाकत करः			
महिलायें		भूतपूर्व		स्व0सं0 सेनार्न	1	शारीरिक	
		सैनिक		के आश्रित		से विकल	गांग
कोड W()	कोड	EX	कोड	DFF	चलन स	
						निःशक्तत प्रमस्तकीय	
						अंगघात	
17. शैक्षिक अर्हत	πुं:						
परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष		बोर्ड / विश्वविद्यालय	पूर्णाक	प्राप्तांक	विष	य
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
अन्य:							
गरिस्थितियों में वि	मेला अथवा वाद के लं क संबंधित सूचना (अ) 	iबित रहने व	ारा कभी दण्ड मिला हं क्री क्या स्थिति हैं? कृट संख्या	दिनांक अभ्यर्थी के हस्त		ाम	
		जाने वाली	घोषणा (जो लागू न				
1.	मैंने उपरोक्त अ	ावेदित पद देये गये स	त्र / पुत्री श्रीप पर सीधी भर्ती द्वारा नि मस्त विवरणों को ध्यान	ायुक्ति के सन्दर्भ में उ	त्तराखण्ड प्राविधिक वि	शिक्षा परिषद ह	रारा दी गयी विज्ञा
2.	उपरोक्त आवेदन सही व सत्य हैं	न पत्र में दी । यदि भवि	ो गयी सभी प्रविष्टियाँ ष्य में उपरोक्त लिखित करने में सक्षम नहीं हो	। कोई भी जानकारी य	ग्राबात मिथ्या या गत	लत अथवा फज	र्गी पायी जाती हैं
	कर दिया जाय जाता/जाती हूँ मिथ्या या गलत	। यदि उपर ्तो सम्बन्धि अथवा फर्ज	तेक्त तथ्य विभाग में 1 घत नियुक्ति प्राधिकारी ोें जानकारी देने की रि	नियुक्ति ग्रहण करने व /विभाग द्वारा में अभ्य थिति में मेरे विरूद्व विर्	के पश्चात भी सामने पर्थन/चयन/नियुक्ति धेक कार्यवाही भी की	आते हैं, जिर त निरस्त कर ो जा सकती है	तमें मैं अयोग्य प दी जाय। किसी ।
3.	सम्मिलत किया छायाप्रतियों के	जाय। आः साथ उपत	नाथ कोई भी प्रमाण प शुलिपिक परीक्षा के दौ नब्ध कराया जायेगा। लित न किया जाय।	रान अभिलेख सत्यापन	न में मेरे द्वारा समस्त	त प्रमाण पत्रों	को मूल रूप में
4.	चयन के सम्बन्ध को बाध्य होउंग	प्र में सम्बधि	ातत नियुक्ति प्राधिकारी/ ति नियुक्ति प्राधिकारी/ तथा कोई भी दावा प्रस्त		गी ।		
देनांक					अभ्यथी के	हस्ताक्षर	
स्थान					अभ्यर्थी का	नाम:	